डीजी परिपत्र संख्या - 35 /2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिसमहानिदेशक,
उत्तरप्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊःजून 10 ,2016

विषय :- किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

आप अवगत होगें कि बालकों के अधिकार, देखरेख एवं संरक्षण के सम्बन्ध में किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 दिनांक 01.1.2016 को भारत के राजपत्र द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस अधिनियम द्वारा पूर्व में प्रचलित किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2000 को विलोपित करते हुए नवीन स्तर से इसका क्रियान्वयन दिनांक 15.1.2016 से किया गया है।

उक्त अधिनियम में पुलिस विभाग से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं, जिनका कड़ाई से अनुपालन आपके स्तर से सुनिश्चित होना हैः-

1. <u>बाल कल्याण पुलिस अधिकारी :-</u>

इस अधिनियम की धारा 107(1) के अन्तर्गत प्रत्येक थाने में कम से कम एक अधिकारी जो सहायक उप निरीक्षक से निम्नतम स्तर का नहीं होगा, नियुक्त किया जायेगा तथा यह अधिकारी बाल कल्याण अधिकारी कहलायेगा। यह अधिकारी स्वयं सेवी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से बच्चों और पीड़ितों की समस्याओं का निराकरण करायेगा।

2. <u>विशेष बाल अपराध पुलिस इकाई (रेलवे पुलिस भी समाहित है) :-</u>

बच्चों से संबंधित पुलिस के अन्य मामलों में सहयोग हेतु राज्य सरकार प्रत्येक जनपद में एक विशेष बाल अपराध पुलिस इकाई का गठन करेगी, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी से निम्न नहीं होगा तथा यह अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक स्तर से भी उच्च स्तर का हो सकता है। इस इकाई में दो सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें बाल कल्याण का अनुभव हो तथा इनमें से एक कार्यकर्ता महिला होगीं, नियुक्त किये जायेगें।

सभी विशेष बाल अपराध पुलिस इकाई के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिससे वे इस क्षेत्र में प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेगें।

3. <u>बालक :-</u>

इस अधिनियम की धारा 2 में ''बालक'' को परिभाषित किया गया है कि 18 वर्ष की उम्र पूर्ण न की गयी हो। अतः ऐसे बालक एवं बालिका जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूर्ण नहीं की है वे ''बालक'' कहें जायेगें।

4. <u>बाल न्यायालय :-</u>

इस अधिनियम की धारा 2 (20) में बाल न्यायालय परिभाषित किया गया है। बाल अधिकार अधिनियम-2005 एवं लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम-2012 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय से है, जहॉ पर ये न्यायालय स्थापित नहीं किये गये है ऐसी दशा में सत्र न्यायालयों को बाल अपराध के मामलों की सुनवाई हेतु अधिकृत किया गया है।

5. **विशेष गृह :-**

इस अधिनियम की धारा 2 (56) में विशेष गृह परिभाषित किया गया है। राज्य सरकार अथवा स्वयं सेवी संस्था या गैर सरकारी संस्थानों द्वारा स्थापित ऐसी संस्था जो इस अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत पंजीकृत हों।

6. **धारा 6 :-**

इस अधिनियम की धारा 6 में यह प्राविधानित किया गया है कि जब वह 18 वर्ष से कम उम्र का था तथा उसे गिरफ्तार कर लिया गया हो तो ऐसी दशा में 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर भी उसकी जॉच किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही की जायेगी।

7. **धारा 10 (1) :-**

किसी भी बालक द्वारा जब भी अपराध किया जायेगा तो उसे विशेष पुलिस बाल अपराध पुलिस इकाई अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा पकड़ा जायेगा तथा ये अधिकारी ऐसे बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 24 घंटे के अन्दर (यात्रा के समय को छोड़कर) प्रस्तुत करेगें।

8. **धारा 12 जमानतः-**

प्रत्येक बाल अपराधी को जिसने जमानतीय अथवा अजमानतीय अपराध कारित किया है तथा वह पुलिस अभिरक्षा में है। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उसे जमानत पर छोड़ दिये जायेगे, परन्तु यदि ऐसे आधार है जिससे वह बालक पुनः अपराधियों के निकट आ जायेगा तथा उसे चारित्रिक, मानसिक एवं शारीरिक खतरा है तो ऐसे बाल अपराधी को किशोर न्याय बोर्ड कारण अंकित करते हुए जमानत पर नहीं छोड़ेगा।

यदि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बाल अपराधी को जमानत पर नहीं छोड़ा गया है तो थाने का भार साधक अधिकारी उसे पर्यवेक्षण गृह में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में रखेगा।

यदि बाल अपराधी द्वारा जमानत की शर्ते पूर्ण नहीं की जा सकती है तो 07 दिवस के अन्दर उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने जमानतों की शर्तो में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

9. **बाल अपराधी के माता-पिता, संरक्षक/प्रोवेशन अधिकारी को सूचना दिया जानाः-**

इस अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत जब भी किसी बालक को पकड़ेगें तो उसके माता-पिता, संरक्षण एवं प्रोवेशन अधिकारी को सूचित करेगें तथा बाल अपराधी की जमानत होने पर प्रोवेशन अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सूचित किया जायेगा।

10. **व्यवहारिक निर्देशः-**

(i) उक्त अधिनियम की धारा 15(1) के अन्तर्गत जहॉ बालक द्वारा गम्भीर (जघन्य) अपराध कारित किया जाता है तो 16 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष किशोर पुलिस इकाई द्वारा प्रथम बार प्रस्तुत करने पर उसका विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गम्भीर (जघन्य) अपराध करने वाले बालकों जो 16 वर्ष से अधिक के है, आयु निर्धारण के बारे में पुलिस द्वारा स्वयं कोई निर्धारण नहीं किया जायेगा बल्कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

11. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने जनपद में किशोर न्याय (बालको की देख-रेख एवं सरंक्षण) अधिनियम-2015 के सम्बन्ध में अपने-अपने जनपद के संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों से सम्पर्क कर अपने अधीनस्थों को इस सम्बन्ध में विधिक चर्चा कर जानकारी दिलायेगें जिससे जनपद के पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के प्राविधानों से अद्यतन रहें। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक क्राईम मीटिंग में भी इस संबंध में अवश्य चर्चा करें।

भवदीय

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0।
3. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0 लखनऊ।
5. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया अपने स्तर से उक्त अधिनियम संबंधी अपने विभाग के परिवीक्षाधिकारियों को जनपदीय समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित करने के सम्बन्ध में।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
10. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।